न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–1, सुलतानपुर।

सत्र परीक्षण संख्या–1451 / 2023

राज्य बनाम मानसी दूबे।

<u>आरोप</u>

मै अभय श्रीवास्तव, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–1, सुलतानपुर आप अभियुक्ता मानसी दूबे को निम्नलिखित आरोपों से आरोपित करता हूँ–

1– यह कि दिनांक 04.09.2021 को समय लगभग 6.30 बजे शाम बहदस्थल कुआ ग्राम इसूर थाना जयसिंहपुर, जनपद सुलतानपुर में आपने अपने एक अन्य साथ के साथ वादी मुकदमा दिनेश कुमार के पुत्र रौनक उर्फ दिव्यांश दूबे की हत्या कारित किया। इस प्रकार आपने भा0दं0सं0 की धारा–302 / 34 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

2– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आपने अपने एक अन्य साथ के साथ वादी मुकदमा दिनेश कुमार के पुत्र रौनक उर्फ दिव्यांश दूबे की हत्या कारित करके लाश छिपा दिया। इस प्रकार आपने अपराध के साक्ष्य विलोपन का अपराध कारित किया जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा–201 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद् द्वारा आप को आदेशित किया जाता है कि उपरोक्त मामले में आप का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा ।

Sd/-
(अभय श्रीवास्तव)
JO Code-UP6216
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कक्ष सं0 1, सुलतानपुर।

दिनांक–07.12.2023

आरोप अभियुक्ता को पढ़ कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्ता ने आरोप से इन्कार किया तथा विचारण की याचना की।

Sd/-
(अभय श्रीवास्तव)
JO Code-UP6216
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कक्ष सं0 1, सुलतानपुर।

दिनांक–07.12.2023

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–1, सुलतानपुर।

सत्र परीक्षण संख्या–1451/2023

राज्य बनाम मानसी दूबे।

<u>दिनांक–07.12.2023</u>

आज पत्रावली पेश हुयी। अभियुक्ता मानसी दूबे जिला कारागार से न्यायिक अभिरक्षा में उपस्थित आयी। अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता व अभियोजन पक्ष को आरोप के बिन्दु पर सुना। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्ता के विरूद्ध अन्तर्गत धारा– 302/34, 201 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत आरोप बनाए जाने का पर्याप्त आधार प्रतीत होता है। अतः अभियुक्ता के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं में आरोप विरचित किया गया। अभियुक्ता को आरोप पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्ता ने आरोपों से इन्कार किया तथा परीक्षण की याचना किया। पत्रावली दिनांक 22.12.2023 को साक्ष्य हेतु नियत की जाती है।

Sd/-
(अभय श्रीवास्तव)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या–1, सुलतानपुर।

दिनांक–07.12.2023